राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमाकः 1 (16)ग्रावि/नरेगा/IPPE/ पार्ट–।।/2015–16/ई.93611 जयपुर, दिनांक 21 SEP 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2016–17 की पूर्ण कियान्विति बाबत।

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बजट घोषणाओ यथा आंगनवाड़ी विकास केन्द्र, मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना, मुक्तिधाम विकास योजना, खाद्य गोदाम निर्माण एवं कैटल सैड के निर्माण इत्यादि की पूर्ण कियान्विति हेतु लक्ष्य आवंटित किये जाकर प्रगति अर्जित करने के निर्देश दिये गये। जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जिलो द्वारा कार्य विभिन्न योजनाओ से न कन्वर्जेन्स करते हुए केवल महात्मा गांधी नरेगा से ही स्वीकृत किये जा रहे है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा **बजट घोषणा वर्ष 2016–17 मांग संख्या 212 में निम्नानुसार घोषणा की है :–**

''आज जब पंचायतीराज संस्थाओं को पहले से कहीं अधिक धनराशि विकास कार्यो के लिए मिल रही है तो हमें इस राशि का उपयोग गांवों अथवा पंचायतों के समग्र और सुनियोजित विकास के लिए करना चाहिये। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं यथा–राज्य वित्त आयोग, क्षेत्रीय विकास योजनाओं, महात्मा गांधी नरेगा, एमएलए लैड, एमपी लैड, जलग्रहण विकास, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना आदि से प्राप्त राशि का समग्र मूल्यांकन हो और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत अपनी वार्षिक योजना ऐसे बनायें, **जिससे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली राशि का कन्वर्जेन्स कर गांव के समग्र विकास संभव हो सके।''**

इस सम्बन्ध में सीकर जिले को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ण क्रियान्विती हेतु की गई गणना उदाहरणार्थ संलग्न है। उक्त गणनानुसार यदि बजट घोषणा के लक्ष्यों की पूर्ण क्रियान्विती की जानी है तो वर्ष 2016–17 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं से लगभग राशि रुपये 24 करोड़ की आवश्यकता सामग्री मद में होगी। इस प्रकार

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की स्वीकृतियॉ विभिन्न योजनाओं से राशि का कन्वर्जेन्स कर जारी किया जाना आवश्यक होगा।

कृपया लक्ष्यों की पूर्ण सुनिश्चितता हेतु निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए योजना तैयार कर क्रियान्विति सुनिश्चित करावें, ताकि अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार वर्ष भर में कुल लिए गए कार्यों (ग्रा.पं. एवं अन्य लाईन विभागों के कार्यों सहित) पर सामग्री मद की राशि (अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों पर व्यय होने वाली राशि सहित) जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक न हो :–

- **मुख्यमंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विती हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि के प्रावधान से अधिक राशि का आवश्यकता अनुसार कन्वर्जेन्स करना। इसे ग्राम पंचायत स्तर पर कन्वर्जेन्स किया जावें।**
- **अन्य विभाग यथा आईसीडीएस, खेल विभाग के पास उपलब्ध राशि से कन्वर्जेन्स**
- **कार्यो का गुणवत्तापूर्ण संपादन हेतु नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।**

उपरोक्त सभी बिन्दुओं एवं जिला स्तर पर 40 प्रतिशत सामग्री मद की सीमा संधारित करने की पूर्ण जिम्मेवारी जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) की होगी।

बजट घोषणाओं की क्रिन्यांविती की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पाक्षिक रूप से की जा रही है। अतः आप से भी अपेक्षा है कि आप भी समीक्षा करते हुये संलग्न प्रपत्र में पाक्षिक रिर्पोट ईमेल cmsnrega.raj@gmail.com पर भिजवावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

31/8

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रा0वि.विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस